राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास(अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक –एफ 4(17)ग्रावि/अनु.–8/2014 जयपुर, दिनांक 11.02.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2015 को कम प्रगति वाले 7 जिले अलवर, भरतपुर,धौलपुर,टोंक,स0माधोपुर,जोधपुर एवं उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश प्रदान कियेः–

1. बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रतिनिधि अलवर एवं स0माधोपुर अनुपस्थित रहे, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए दोनों मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के निर्देश प्रदान किये। (संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन)
2. विभाग में दिनांक 1.4.2014 से IWMS लागू किया गया है लेकिन अधिकांश सीईओ द्वारा इसे ना तो नियमित रूप से देखा जा रहा है ना ही सही एन्ट्रियॉ की जा रही है। इसके संबंध में स्वयं सीईओ, जिला स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी एवं आपरेटर्स को आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग लेने और आगामी एक सप्ताह में सभी एन्ट्रीयॉ पूर्ण करने के निर्देश दिये गये अन्यथा इसे अनुशासनहीनता मानते हुए इस पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये। (पीडी,एम एण्ड ई)
3. समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में अधुरे कार्य, अप्रारम्भ कार्य एवं राशि आवंटन से कम स्वीकृतियों के कारणों की सीईओ को जानकारी नहीं थी। राज्य स्तर पर समीक्षा के दौरान पूर्ण सूचना नहीं लाना यह दर्शाता है कि सीईओ इस संबंध में गंभीर नहीं है। सभी सीईओ को यह निर्देश दिये गये कि आगामी 3 दिवस में अपने स्तर पर सभी प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी एवं कार्यकारी एजेन्सी के साथ योजनाओं की कार्यवार समीक्षा करेंगे और कार्य के अपूर्ण रहने या अप्रारम्भ रहने अथवा सभी स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे अन्यथा यह मानते हुए सीईओ द्वारा सुपरविजन में भयंकर त्रुटी की जा रही है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। (संबंधित सीईओ)
4. एमपी/एमएलए लैड योजना में स्वीकृति हेतु उपलब्ध राशि व अभिशंषित कार्यो की प्रगति के बारे में मा0 सांसद एवं मा0 विधायक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक तीन माह में सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन जिला परिषद, उदयपुर को छोड़कर किसी भी जिले द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः सभी CEO's को निर्देश दिये गये कि त्रैमासिक रूप से समस्त मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों को उनके द्वारा अभिशंषित कार्यो की प्रगति एवं अभिशंषा हेतु उपलब्ध राशि से अवगत कराया जाये। (संबंधित सीईओ)